



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02102026-276718
CG-DL-E-02102026-276718

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5171]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2026/आश्विन 8, 1948

No. 5171]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2026/ASVINA 8, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2026

का.आ. 5379(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2498 (अ) तारीख 14.05.2026 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के कलबुर्गी (गुलबर्गी) जिले में भारतमाला परियोजना का एक्सेस नियंत्रित ग्रीन फील्ड राजमार्ग NH-150C महाराष्ट्र/कर्नाटक बॉर्डर (निम्बल ग्राम, आलंद तालुक, गुलबर्गी जिले) से कर्नाटक/तेलंगाना बॉर्डर (सिंगनोड़ी ग्राम, रायचूर तालुक, रायचूर जिले) तक के कि.मी.21.000 से कि.मी.23.450 और कि.मी.26.000 से कि.मी.97.000 तक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (6 लेन का बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "18.06.2026" को "द टाइम्स ऑफ़ इंडिया" और "विजय कर्नाटक " दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के कलबुर्गी (गुलबर्गा) जिले में भारतमाला परियोजना का एक्सेस नियंत्रित ग्रीन फील्ड राजमार्ग NH-150C महाराष्ट्र/कर्नाटक बॉर्डर (निम्बल ग्राम, आलंद तालुक, गुलबर्गा जिले) से कर्नाटक/तेलंगाना बॉर्डर (सिंगनोड़ी ग्राम, रायचूर तालुक, रायचूर जिले) तक के कि.मी.21.000 से कि.मी.23.450 और कि.मी.26.000 से कि.मी.97.000 तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: कर्नाटक			जिले का नाम: कलबुर्गी (गुलबर्गा)		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: जेवरगी					
गांव का नाम: रसणगी					
1	62	निजी (गीला)	एग्रीकल्चर	0.0202	सरुबाई शिवशरणप्पा गौड़ा 62/1
2	65	निजी (गीला)	एग्रीकल्चर	0.0506	हीरु थावरू राठोड 65/*
3	66	निजी (गीला)	एग्रीकल्चर	0.0405	गोपाल पिता देवरैया राठोड 66/5
4	66	निजी (गीला)	एग्रीकल्चर	0.0405	गोपाल पिता देवरैया राठोड 66/6
Total				0.1518	

[फा. सं. NHAI/LA/RO-BNG/KNT/GULBARGA/3a/AK/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2026

S.O. 5379(E).— Whereas by the notification of Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O. No. 2498(E) dated 14.05.2026** published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (herein after referred to as the said act), the Central Government declared its intention to acquire the lands specified in the Schedule annexed to the said notification for building (six laning), maintenance, management and operation of NH-150C from MH/KN Border (Nimbal Village, Aland Taluk, Gulbarga District) to KN/TS Border (Singnodi Village, Raichur Taluk and District) as a part of Surat – Chennai Economic Corridor under Bharatmala Pariyojana in the stretch of land from Km.21.000 to Km.23.450 and from Km.26.000 to Km.97.000 in the District of Kalaburagi (Gulbarga) in the state of Karnataka.

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Times of India” and “Vijaya Karnataka” both dated 18.06.2026 under sub section (3) of section 3(A) of said Act;

And whereas the Competent Authority has received no objections under section 3C of the said Act.

And whereas, in pursuance of sub section (1) of section 3(D) of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government.

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 3(D) of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the lands specified in the said schedule shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km.21.000 to Km.23.450 and Km.26.000 to Km.97.000 (Six Laning of Access Controlled Green Field Highway of NH-150C starting from MH/KN Border (Nimbal Village, Aland Taluk, Gulbarga District) to KN/TS Border (Singnodi Village, Raichur Taluk and District) as a part of Surat – Chennai Economic Corridor under Bharatmala Pariyojana) in the district of Kalaburagi (Gulbarga) in the state of Karnataka.

State: KARNATAKA			District: Kalaburagi (Gulbarga)		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Jevargi					
Village: Rasangi					
1	62	Private (Wet)	Agriculture	0.0202	Sarubai Shivsharnappa Gouda 62/1
2	65	Private (Wet)	Agriculture	0.0506	Hiru Thavaru Rathod 65/*
3	66	Private (Wet)	Agriculture	0.0405	Gopal S/o. Devarayya Rathod 66/5
4	66	Private (Wet)	Agriculture	0.0405	Gopal S/o. Devarayya Rathod 66/6
Total				0.1518	

[F. No. NHAI/LA/RO-BNG/KNT/GULBARGA/3a/AK/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director